भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1545

मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप्स के लिए धन की अनुपलब्धता

1545. श्री राजकुमार रोत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और अन्य केन्द्रीय स्टार्टअप योजनाओं के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता अथवा अन्य कारणों से इन्क्यूबेटर स्तर पर अनेक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है; यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और अस्वीकृत किए गए आवेदनों का वर्ष और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसी अस्वीकृति के क्या कारण है;

(ख) क्या इन्क्यूबेटरों द्वारा आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के विस्तृत कारण या कई मामलों में अपील या शिकायत निवारण के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं बताया गया है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार के पास आवेदनों की स्थिति, निधियों की उपलब्धता, अस्वीकृति के कारणों, अपील की सुविधा और शिकायतों के समयबद्ध निपटान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टार्टअप, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों और दूर-दराज के क्षेत्रों से संबंधित स्टार्टअप, इन योजनाओं का लाभ उठा सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के तहत, पात्र स्टार्टअप को चयनित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसआईएसएफएस की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) निधियों के आवंटन के लिए इन्क्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करती है। स्कीम के तहत प्रत्येक चयनित इनक्यूबेटर इनक्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) का गठन करता है, जो प्रारंभिक सहायता के लिए स्टार्टअप का मूल्यांकन और चयन करती है। आईएसएमसी ही पात्र स्टार्टअप्स को दी जाने वाली निधि की राशि और उसके प्रकार (एसआईएसएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार) को निर्धारित

करती है। इसलिए, स्टार्टअप्स द्वारा उठाई गई किसी भी शिकायत, जिसमें आवेदनों के मूल्यांकन और संवितरण से संबंधित शिकायतें शामिल हैं, की जांच ईएसी द्वारा एसआईएसएफएस के तहत चुने गए संबंधित इनक्यूबेटर द्वारा की जाती है।

एसआईएसएफएस के दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं:

https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2025/07/eaf3e3bdae9f4d657117f18f6c91780a.pdf

30 जून 2026 तक, अनुमोदित इन्क्यूबेटरों ने स्कीम के तहत सहायता के लिए कुल 4,245 स्टार्टअप का चयन किया है, जिसके लिए कुल 706.33 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृत है। पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में स्कीम के तहत चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, इन्क्यूबेशन की सहायता करने वाली अन्य केंद्रीय स्टार्टअप स्कीमें, जैसे कि टाइड 2.0 (प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास) स्कीम, जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) स्कीम, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), इनोवेशन को विकसित करने और उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय पहल (निधि) कार्यक्रम, नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) कार्यक्रम तथा नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम, में इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप के मूल्यांकन और चयन के लिए विशिष्ट परिचालन दिशानिर्देश और फ्रेमवर्क हैं।

एसआईएसएफएस से संबंधित शिकायतें, और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के माध्यम से उठाई गई अन्य स्कीमों की भी जांच की जाती है और सीपीग्राम की मौजूदा प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सभी कार्यक्रम और स्कीमें अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें कवरेज का विस्तार करने के लिए कई विशिष्ट आउटरीच और जागरूकता उपाय किए गए हैं। जैसा कि भाग (क) और (ख) में दिया गया है, स्कीमें में संरचित फ्रेमवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म, परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और शिकायत निवारण तंत्र हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश भर के स्टार्टअप लाभ उठा सकें।

विशेष रूप से इनक्यूबेशन के लिए, एसआईएसएफएस के तहत, आवेदक इनक्यूबेटर के स्थान की परवाह किए बिना, अपनी वरीयता के क्रम में स्कीम के लिए वितरण भागीदारों के रूप में चयनित किसी भी तीन इनक्यूबेटर से प्रारम्भिक निधि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सरकार ने एसआईएसएफएस के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल भी विकसित किया है, जो देश भर में आवेदन पर कार्यवाही, निधि प्रबंधन और निगरानी के लिए सामान्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। स्कीम के तहत लाभों का विभिन्न आउटरीच और सोशल मीडिया पहलों के माध्यम से और प्रचार-प्रसार किया जाता है।

प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और इनक्यूबेटरों के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन प्रक्रिया में सहायता करने के लिए विशेष रूप से गैर-महानगरीय क्षेत्रों से इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के प्रयास भी किए जाते हैं। इसके अलावा, राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम, इनोवेशन वीक और तेजस (ट्रांसफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज़ अक्रॉस स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स) के माध्यम से एसआईएसएफएस सहित स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत क्षेत्रीय जागरूकता और आउटरीच के लिए विशिष्ट पहलें की जाती हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1545 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान स्कीम के तहत चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या और स्टार्टअप के लिए अनुमोदित वित्त पोषण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या**	**चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित निधि (करोड़ रुपए में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.04
आंध्र प्रदेश	59	12.17
अरुणाचल प्रदेश	2	0.30
असम	43	6.63
बिहार	49	8.78
चंडीगढ़	17	3.17
छत्तीसगढ़	24	2.88
दिल्ली	218	43.18
गोवा	24	3.43
गुजरात	223	42.00
हरियाणा	149	28.71
हिमाचल प्रदेश	23	3.48
जम्मू और कश्मीर	14	2.36
झारखंड	17	3.60
कर्नाटक	404	89.37
केरल	71	13.86
मध्य प्रदेश	129	20.27
महाराष्ट्र	533	105.33
मणिपुर	4	0.30
मेघालय	3	0.34

मिजोरम	6	1.15
नागालैंड	27	4.97
ओडिशा	112	15.10
पुदुचेरी	6	0.90
पंजाब	50	8.50
राजस्थान	129	22.20
सिक्किम	2	0.20
तमिलनाडु	316	54.71
तेलंगाना	200	42.34
उत्तर प्रदेश	244	38.51
उत्तराखंड	23	4.84
पश्चिम बंगाल	52	8.19
